चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ
Chaudhary Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : सम्बद्धता/6057
दिनांक :- 29.3.2023

सेवा में,

01. सचिव/प्राचार्य,
समस्त सम्बद्ध संस्थान/महाविद्यालय
सम्बद्ध चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

02. समस्त विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष/निदेशक
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ।

विषयः— राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत पाठयक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम लागू किये जाने के फलस्वरूप शासन द्वारा निर्धारित प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उच्च शिक्षा अनुभाग—1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्रांकः 2269 / सत्तर – 1 – 2022 – 16(50)/2021 टी0सी0 दिनांक 11.07.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुल्क की समानता के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठयक्रमों में परीक्षा शुल्क निर्धारित किया गया है।

उक्त के आलोक में सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ द्वारा निर्धारित परीक्षा शुल्क के अनुसार शैक्षिक सत्र 2023—2024 में प्रवेश सम्बन्धी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः— उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
28.03.2023
कुलसचिव

प्रतिलिपिः—
01. सचिव कुलपति को मा0 कुलपति महोदया के संज्ञानार्थ।
02. सचिव कुलसचिव को कुलसचिव महोदय के सूचनार्थ।
03. प्रेस प्रवक्ता, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
04. प्रभारी, वेबसाइट, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय अधीक्षक (सम्बद्धता)

उत्तर प्रदेश शासन
उच्च शिक्षा अनुभाग-1
संख्या- 2269 / सत्तर-1-2022-16(50) / 2021 टी०सी०
लखनऊ : दिनांक 11 जुलाई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अन्तर्गत पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम लागू किये जाने के फलस्वरूप परीक्षा शुल्क पर विचार-विमर्श किये जाने हेतु शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1747 / सत्तर-1-2022-16(50) / 2021, दिनांक 26-05- 2022 द्वारा विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में 06 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।

2- विश्वविद्यालयों द्वारा उपलब्ध कराये गये शुल्क वृद्धि के प्रस्तावों पर विचारोपरान्त समिति द्वारा अपनी संस्तुति उपलब्ध करायी गई।

3- समिति की संस्तुतियों में यह उल्लेख किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के क्रियान्वयन के कारण समस्त स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं में विषम / सम सेमेस्टर के क्रम में वर्ष में 02 बार सम्पन्न कराया जायेगा। विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं हेतु पेपर सेटिंग तथा पेपर प्रिटिंग, उत्तर पुस्तिकाओं की प्रिटिंग, प्रायोगिक परीक्षाओं का सम्पादन, उड़ाका दलों का संचालन, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन एवं परीक्षकों के पारिश्रमिक का भुगतान, परिणाम का संकलन एवं प्रकाशन के मदों में दोगुना व्यय भार आयेगा। विश्वविद्यालय की आय का मुख्य स्रोत छात्रों से प्राप्त होने वाला परीक्षा शुल्क है, जिसका अधिकांश भाग परीक्षा सम्बन्धी मदों पर व्यय होता है।

4- उच्च शिक्षा विभाग में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुल्क में भिन्नताएं हैं। अलग-अलग विश्वविद्यालयों में छात्रों द्वारा एक ही मद में अलग-अलग शुल्क का भुगतान किया जाना भी न्याय संगत नहीं है। राज्य विश्वविद्यालयों में परीक्षा शुल्क की समानता के दृष्टिगत उत्तर प्र . राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत स्थापित राज्य विश्वविद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में परीक्षा शुल्क निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:-

क्र०	पाठ्यक्रम का नाम	प्रति सेमेस्टर परीक्षा शुल्क
1	बी०ए०, बी०एस०सी०,बी०काम, बी०बी०ए०, बी०सी०ए०, बी०एफ०ए०, बी०वोक०	रू० 800 / -
2	बी०एड०, बी०पी०एड०, बी०जे०एम०सी०, बी०एफ०ए०, बी०वोक० एल०एल०बी०, बी०एस०सी० एग्रीकल्चर(आनर्स), विधि(आनर्स), बी०टेक०, बी०एस०सी० बायोटेक, बी०लिब०	रू० 1000 / -
3	बी०डी०एस०, नर्सिंग, बी०ए०एम०एस० / बी०यू०एम०एस०	रू० 1500 / -

मनोज कुमार
विशेष सचिव

-2/

संख्या- (1)/सत्तर-1-2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1 माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति के अपर मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश, राजभवन, लखनऊ।
2 कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
3 कुलसचिव/वित्त अधिकारी, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
4 निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5 समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6 गार्ड फाइल

आज्ञा से,

(ब्रह्मदेव)
संयुक्त सचिव